

// 1 //

दाण्डिक प्रकरण कमांक-249 / 14

Filling no. 235103004502014

न्यायालय-साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी,
जिला अशोकनगर म0प्र0

दाण्डिक प्रकरण कमांक-249 / 14

संस्थित दिनांक--- 30.04.2014

Filling no. 235103004502014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चंदेरी जिला अशोकनगर।अभियोजन
विरुद्ध
1- प्रकाश पुत्र हरनारायण जाति लोधी उम्र 29 साल निवासी ग्राम नावली थाना चंदेरी जिला अशोकनगरआरोपी

:: निर्णय ::

(आज दिनांक- 13.04.2017 को घोषित किया गया)

01. अभियुक्त प्रकाश के विरुद्ध धारा 279, 337 भा0द0वि0 के अन्तर्गत इस आशय का अभियोग है कि दिनांक 13.01.2014 को शाम 6 बजे पनखुआ की धूम मुंगावली रोड थाना चंदेरी में मोटरसाईकिल हीरो होन्डा स्पलेन्डर वाहन को उतावलेपन अथवा उपेक्षा पूर्वक ढंग से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया तथा उक्त वाहन को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर गिराकर आहत गुरु सेवक को उपहति कारित की।

02. प्रकरण में अवलोकनीय है कि दिनांक 07.03.2017 को आहत व आरोपी के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण आरोपी प्रकाश को धारा 337 भा0द0वि0 के आरोप से दोषमुक्त किया गया।

03. अभियोजन का पक्ष संक्षेप मे है कि फरियादी काबिल सिंह ने इस आशय की देहाती नालसी लेखबद्ध कराई थी कि दिनांक 13.01.2014 को उसके जीजा गुरुसेवक अपनी मोटरसाईकिल हीरो होन्डा स्पलेन्डर को अपने नौकर प्रकाश लोधी से चलवाकर चंदेरी से सामान लेने गये थे चंदेरी से वापस आ रहे थे उस समय उक्त मोटरसाईकिल को प्रकाश लोधी ने बहुत तेजी व लापरवाही से चलाकर पनखुआ धूम पर गिरा दी, गिरने से प्रकाश लोधी व मोटरसाईकिल पर पीछे बैठे उसके जीजी गुरु सेवक के शरीर में जगह-जगह चोट होकर खून निकला है। फरियादी

काबिल सिंह को फोन द्वारा सूचना मिलने पर दोनों को उठाकर इलाज हेतु अस्पताल चंदेरी ले आया। काबिल सिंह की देहाती नालसी के आधार पर थाना चंदेरी में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान साक्षीगण के कथन लिये गये, घटना स्थल का नक्शामौका बनाया गया, अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, मोटरसाईकिल को जप्त किया गया एवं विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

04— अभियुक्त के विरुद्ध भा0द0स0 की धारा 279 एवं 337 के अपराध की विशिष्टियां विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध कोई तथ्य व परिस्थिति प्रकट न होने से अभियुक्त परीक्षण नहीं किया गया तथा अभियुक्त की ओर से बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

05. राजीनामा उपरांत न्यायालय के समक्ष निम्न प्रश्न विचारणीय हैं :—

1.	क्या अभियुक्त जयपाल के द्वारा दिनांक 13.01.2014 को शाम 6 बजे पनखुआ की धूम मुंगावली रोड थाना चंदेरी में मोटरसाईकिल हीरो होन्डा स्पलेन्डर वाहन को उतावलेपन अथवा उपेक्षा पूर्वक ढंग से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?
----	--

: : सकारण निष्कर्ष : :

06. अभियुक्त के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने का भार अभियोजन में निहित होता है। गुरुसेवक अ0सा01 ने उसके न्यायालयीन कथनों में बताया कि वह आरोपी प्रकाश को जानता है। घटना करीब 3 साल पहले की होकर शाम 5—6 बजे की है। घटना दिनांक को वह चंदेरी से अपने घर ग्राम नाओनी जा रहा था, रास्ते में पनखुआ जी के मंदिर के मोड़ पर रोड पर गिट्टी के ढेर लगे थे और सड़क पर पानी था जिससे उसकी मोटरसाईकिल फिसल गई और वह गिर गया था जिससे उसे सिर व पैर में चोट आ गई थी और वह वेहोश हो गया था। उक्त साक्षी ने इस बात की जानकारी होने से इंकार किया कि घटना के संबंध में किसके द्वारा रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी और इस बात से भी इंकार किया कि पुलिस ने उससे पूछताछ की थी।

07. अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कराकर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस बात से इंकार किया कि घटना दिनांक को वह उसके नौकरी प्रकाश लोधी के साथ घरैलू काम से चंदेरी गया था। स्वतः कहा वह अकेला गया था। अभियोजन के इस

सुझाव से साक्षी ने इंकार किया कि घटना के समय मोटरसाईकिल को आरोपी प्रकाश चला रहा था तथा इस बात से भी इंकार किया कि आरोपी प्रकाश मोटरसाईकिल तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और मोटरसाईकिल को गिरा दिया। साक्षी को उसका पुलिस कथन प्र.पी.1 का ए से ए भाग पढ़कर सुनाये जाने पर साक्षी ने उक्त कथन पुलिस को न देना व्यक्त किया तथा प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने बताया कि उसने घटना के बारे में काबिल सिंह को कोई जानकारी नहीं दी।

08— काबिल सिंह अ0सा02 ने उसके न्यायालयीन कथनों में बताया कि वह आरोपी प्रकाश को नहीं जानता है और आहत गुरुसेवक की ससुराल उसके गाँव के पास में ही है। उक्त साक्षी ने बताया कि देहाती नालसी प्र.पी.2 के ए से ए भाग पर उसने अस्पताल में हस्ताक्षर किये थे। काबिल सिंह अ0सा02 ने न्यायालयीन कथनों में बताया कि जिस व्यक्ति ने उसे सूचना दी थी उसने बताया था कि गुरु सेवक घटना वाले दिन अपने गाँव नाओली जा रहा था रास्ते में पनखोआ मंदिर के मोड़ पर गिट्टी के ढेर पर मोटरसाईकिल चढ़ जाने से गुरु सेवक को चोटे आई थी। अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस बात से इंकार किया कि उसे फोन पर यह जानकारी प्राप्त हुई थी कि मोटरसाईकिल को प्रकाश लोधी बहुत तेजी व लापरवाही से चलाकर गिरा दी थी जिससे गुरु सेवक को चोटे आई थी। उक्त साक्षी को देहाती नालसी प्र.पी.2 एवं पुलिस कथन प्र.पी. 3 का ए से ए भाग पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर साक्षी ने उक्त कथन पुलिस को न देना व्यक्त किया, पुलिस ने कैसे लेखबद्ध कर लिया उसका कारण नहीं बता सकता।

09— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी गुरुसेवक अ0सा01 जोकि प्रकरण में स्वयं आहत है एवं काबिल सिंह अ0सा02 जिसके द्वारा रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गई थी। उक्त दोनों ही साक्षियों ने अभियोजन कहानी का लेसमात्र भी समर्थन नहीं किया है बल्कि उक्त साक्षीगण ने अभियोजन के इस सुझाव से स्पष्टतः इंकार किया कि घटना के समय मोटरसाईकिल को आरोपी प्रकाश लोधी तेजी व लापरवाही से चला रहा था, इसके विपरीत स्वयं आहत गुरु सेवक ने उसके न्यायालयीन कथनों में बताया कि घटना के समय वह स्वयं मोटरसाईकिल चला रहा था और उक्त मोटरसाईकिल के गिर जाने से उसे चोटे आई थी। आरोपी घटना वाले दिन उसके साथ नहीं था।

10— इस प्रकार अभियोजन की ओर से आई साक्ष्य से स्वयं आहत गुरु सेवक अ0सा01, काबिल सिंह अ0सा02 ने अभियोजन कहानी का लेसमात्र भी समर्थन नहीं किया है कि घटना के समय अभियुक्त प्रकाश उसकी मोटरसाईकिल को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन

// 4 //

दाण्डिक प्रकरण क्रमांक-249/14

Filling no. 235103004502014

संकटापन किया। अतः आरोपी प्रकाश को धारा 279 भा0द0वि0 का अपराध प्रमाणित न होने से दोषमुक्त किया जाता है।

11— अभियुक्त द्वारा अन्वेषण, जांच, विचारण के दौरान निरोध में विताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाण पत्र तैयार कर प्रकरण में संलग्न किया जावे

12— प्रकरण के निराकरण हेतु कोई मुद्देमाल विद्यमान नहीं है।

13— अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया दिनांकित कर घोषित किया गया।

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

// 5 //

दाण्डिक प्रकरण क्रमांक-249 / 14
Filling no. 235103004502014